लोकतंत्र के निर्वाचन में महिला सहभागिता

1. शिखा सिंह 2 डॉ शशि त्रिपाठी

1. शोध छात्र, राजनीति विज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
2. प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

शोध सारांश

भारत एक लोकतांत्रिक शासन–प्रणाली वाला देश है। शासन की सभी प्रणालियों में लोकतंत्र अपनी सभी कमियों के बावजूद एक आदर्श व्यवस्था है। शासन की एक पद्धति और राज्य का एक प्रकार होने के साथ–साथ लोकतंत्र समाज की एक व्यवस्था भी है। एक लोकतांत्रिक समाज वह समाज है, जिसमें समानता और बन्धुत्व की भावन प्रधान होती है। यदि लोकतांत्रिक के आदर्शों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो सम्पूर्ण राजनीति में आमजन की सक्रिय भागीदारी एवं सहभागिता को सुनिष्चित करना होगा। लोकतत्र में लोगों की भागीदारी जितनी कम होगी उसी अनुपात में उसकी निगरानी भी उतनी ही कम हो जायेगीं। विचार–विमर्श व सहमति की निर्णय प्रक्रिया में कुछ या अधिकांश लोगों का सम्मिलित होना किसी निर्णय के ढंग को लोकतांत्रिक नहीं बनाता है। इसके लिए निर्णय प्रक्रिया में सारे जन समाज की सहभागिता का होना अनिवार्य है। निर्णय–प्रक्रिया में सम्पूर्ण समाज को सहभागी बनाने का दूसरा नाम ही लोकतन्त्र है।

भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के कई आयाम हैं। एक पक्ष जो महिला को लिंग के आधार पर देखता है जो यह प्रयास करता है कि वह भारत के सम्पूर्ण महिला समुदाय को साथ लेकर चलना चाहता है। परन्तु महिलाओं से जुड़ी वास्तविक समस्याओं को देखने पर पता चलता है कि महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता भी पुरुषवाद के वर्चस्व को बनाये रखने के लिए किया गया एक प्रयास है। हम कुछ महिलाओं को छोड़ दें तो तस्वीर कुछ साफ़ हो करके उभरती है जिससे यह पता चलता है की महिलाओं की सहभागिता भी मात्र महिला वोट बैंक को छलने का एक प्रयास है। बदलते राजनीतिक परिदृश्य में राजनीति का स्वभाव और रूप दोनों बदला है ऐसे में अब पार्टियाँ उन प्रत्याशियों को भी टिकट देने से नहीं हिचकिचाती जो की महिला मुद्दों को लेकर असम्वेदनशील हैं और उनकी दृष्टि में महिला अभी भी दोयम दर्जे की नागरिक है। अक्सर महिलाओं को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा किया जाता है जहाँ से उनके जीतने की संभावना कम हो। इस तरह से उनके दोनों स्वार्थ सिद्ध होते हैं। वो यह भी दर्शाने में कामयाब होते हैं कि महिलाओं की भागीदारी को लेकर वो कितने सचेत हैं परन्तु महिलाएं राजनीति में कमतर हैं।

मुख्य शब्द : लोकतंत्र, महिला सशक्तिकरण, राजनीति, महिला सहभागिता।

प्रस्तावना

राजनीतिक सहभागिता वह गतिविधि है जिसके जरिये कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों निर्णयों के निर्माण–निरूपण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय हिस्सा लेता है। राजनीतिक सहभागिता सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए अनिवार्य तत्व है। राजनीतिक प्रक्रिया में आमजन की लोकप्रिय सहभागिता को सुनिष्चित करने के लिए विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत ने लम्बा रास्ता तय किया है। लोकतंत्र तभी सार्थक होता है, जब वह षक्ति को कुछ थोड़े लोगों तक केंद्रित न कर के समाज के सबसे निचले तबके तक अपनी पहुँच बनाता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत ने षुरूआत से ही अपने को अधिकांषतः इसी दिशा में केंद्रित किया है। संविधान का ऐतिहासिक 73वां, 74वां संविधान संषोधन (1993) इसकी उच्चतम अभिव्यक्ति है।

यह संपूर्ण देश में स्थानीय स्व–शासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर उसमें महिलाओं की सक्रिय सहभागिता को आदेशात्मक बनाता है। अब स्थानीय स्व–शासन की कुल सीटें और पदों के 33 फीसदी पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व है। जो महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक सषक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

समाज के सबसे निचले स्तर तक लोकतंत्र के मूल्यों और आदर्षों की स्थापना हेंतु 73वें, 74वें संविधान संशोधन बिल पर राज्य सभा में बहस का उत्तर देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 राजीव गाँधी ने कहा था कि–''यह पंचायती राज और नगरपालिका विधेयक हर चौपाल–हर चबूतरे, हर आंगन–दालान तक लोकतंत्र को पहुँचाने वाला उपकरण ही नहीं वरन् यह तानाषाही, निपट–निकम्मेपन, नौकरषाही के उत्पीड़न, टेक्नोलॉजी की तानाषाही, लाल फीता शाही, भाई–भजीतावाद और धांधली जैसी लोखों दुखदायक तकलीफों का मेनीफेस्टो (घोषणा–पत्र) है। ''यह फरमान है सत्ता के दलालों के अन्त का, उन बिचौलियों के कारोबार का अन्त जिन्हें सेक्सपीयर ने जन–शासन की 'सुडिया' कहा था। लोकतन्त्र के प्रति स्व0 राजीव गाधी के दृढ़ इच्छा षक्ति के प्रतीक इस विधेयक को उनकी अकाल मृत्यु के बाद 1993 में कांग्रेस पार्टी की केन्द्र सरकार ने संशोधनोपरांत संसद में पारित कराकर कानून का रूप प्रदान कर ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर महिला सषक्तिकरण का मार्ग प्रसस्त किया।

शोध का उद्देश्य –

(1) महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बाधक हैं, उन सामाजिक मान्यताओं का पता लगाना।

(2) महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

(3) महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के पिछड़ेपन के कारणों की पहचान करना।

(4) महिलाओं की राजनीतिक निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता के स्तर का पता लगाना

शोध प्रविधि –

शोध नियमों के अनुसार प्रस्तुत शोध सैद्धांतिक, विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक एवं नवीन व्यवहारिक पद्धतियों को अपनाते हुये शोध लेख को मौलिकता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इस शोध कार्य हेतु आवश्यक सामग्री विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालयों इंटरनेट एवं शोध संस्थानों आदि में उपलब्ध साधनों के अलावा प्राचीन संदर्भ ग्रन्थों से एकत्र किया जाना अनुमन्य है। इन संदर्भ आधारित पुस्तकों के अलावा विभिन्न आयोगों के प्रकाशनों, आत्मलेखों, समाचार पत्र–पत्रिकाओं, राजनैतिक दलों के घोषणा पत्रों एवं राजनेताओं के भाषण इत्यादि से लेखन सामग्री संग्रहित कर विश्लेषणात्मक अध्ययन है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्थानीय स्व–शासन की सफलता और महत्व को देखते हूए केन्द्र की मनमोहन सरकार ने 27 अगस्त 2009 को 110वें संविधान संशोधन के जरिये महिला आऱक्षण का कोटा 33 फीसदी से बढाकर 50 फीसदी कर दिया है। पूरे देश में पंचायती प्रणाली में 50 फीसदी आरक्षण लागू होने के बाद, महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 14 लाख होने का अनुमान है। अभी देश की कुल पंचायतों में लगभग 28 लाख 10 हजार निर्वाचित प्रतिनिधि है, जिनमें से 36.87 फीसदी महिलायें हैं। बिहार सहित कई प्रदेशों की पंचायती प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी 55 फीसदी से भी अधिक है, क्योंकि कुछ महिलाएं अनारक्षित

सीटों पर भी चुनाव लड़कर निर्वाचित हो रही हैं। यह एक अच्छा संकेत है, इसमें महिलाओं के आत्मविष्वास में काफी वृद्धि हो रही है, और वे सषक्तिकरण की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं।

आज महिलाएं पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। महिलाओं ने अनेक अवसरों पर पुरूशों को अपनी षक्ति सम्पन्नता अहसास कराया है। अब पुरूश प्रधान समाज भी यह समझ चुका है कि विकास कार्यों में महिलाओं की भागीदारी के बिना वांछित लक्ष्य प्राप्त कर पाना अत्यन्त कठिन है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य और राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक विकास की कल्पना बेइमानी है। ये सभी बिंदु महिला सषक्तिकरण की आवश्यकता को दर्शा रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण का सामान्य अर्थ महिलाओं को शक्तिसंपन्न बनाना है। शक्ति से सशक्तिकरण का सिद्धांत पोशित होता है। षक्ति से तात्पर्य किसी कार्य को करने या न करने की क्षमता और स्वतंत्रता से है। व्यापकता में इसका अभिप्राय सत्ता प्रतिश्ठानों एवं जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी एवं निर्णय लेने की स्वायत्ता से है। षक्तिकरण एक बहुआयामी एवं अनवरत् गतिशील प्रक्रिया है। यह महिलाओं में इतनी जागरूकता लाती है कि उनमें षैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक संषाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करनें की क्षमता का विकास हो पाता है। जिससे समाज में सम्मानपूर्वक जीवन, जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वीकार किया जाने लगता है। यह उन्हें अपने जीवन को स्वयं निर्देषित करने के लिए प्रेरित करती है।

महिला सशक्तिकरण के संबन्ध में ऑफिस ऑफ द युनाईटेड नेशन हाई कमिशनर फॉर ह्यूमन राइट का कहना है कि ''राजनीति में महिलाओं सक्रिय भागीदारी महिलाओं को शक्ति क्षमता और काबिलियत देती है, ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधार कर अपने जीवन की दिशा का निर्धारण स्वयं कर सके। अर्थात् यह वह प्रक्रिया है जो महिलाओं को सत्ता की कार्यशैली समझने की न केवल समझ देती है अपितु सत्ता के श्रोतों पर नियंत्रण करने की क्षमता भी प्रदान करती है।''

महिलाओं की स्थिति जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ''विश्व जैन्डर गैपइन्डैक्स'' के चार मानक हैं यह है– आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण।

इस आधार पर 2007 में 128 देशों में हुये सर्वेक्षण में भारत का स्थान 114वां था। कुछ क्षेत्रों में तो भारत और भी निचले पायदान पे था। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी और अवसर में भारत का स्थान 122वां था। शिक्षा के क्षेत्र में 116वां (15 से 49 वर्श की आयु वर्ग की महिलाएं कभी स्कूल ही नहीं गईं) और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 126वां स्थान भारत का था। (भारत में मात्र मृत्यु दर प्रति एकलाख जीवित जन पर 301 है) पंचायती राज में लाखों महिलाएं होने के कारण राजनीतिक सशक्तिकरण के मोर्च पर भारत का स्थान 21वां था।

73वे, 74वें संविधान संशोधन से पूर्व महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता केवल मतदान करने तक सीमित थी। निर्णय–प्रक्रिया में उनकी भागीदारी न के बराबर थी। यहाँ भागीदारी के स्तर पर पुरूषों का वर्चस्व कायम था, और इसे समान्यतः पुरूषों का ही क्षेत्र माना जाता था। लेकिन स्थानीय स्व–शासन की व्यवस्था ने शक्ति को सबसे निचले तबके तक पहुँचाया और निर्णय प्रक्रिया में पुरूषों के वर्चस्व और एकाधिकार को तोड़ कर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को अनिवार्य बनाया। जो शासन के सभी आयामों में महिला सहभागिता की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है।

यह सत्य है कि जब पंचायतो और नगरीय निकायों के लिए एक तिहाइ सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह कदम महिला सशक्तिकरण कि दिशा में इतना महत्वपूर्ण बन जाएगा। पिछले बीस वर्षों का अनुभव यही बताता है कि स्थानीय स्व–शासन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी एवं सहभागिता से उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। जो उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतत्र का मेरूदण्ड है। महिलाओं को सशक्त करने के साथ–साथ पंचायती प्रणाली ने भारतीय लोकतंत्र का भी मजबूत किया है। राजनीतिक प्रक्रिया एवं राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी से स्थानीय स्व–शासन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। महिलाओं की आत्मविश्वास और जोश के साथ रचनात्मक और सृजनात्मक कायों में रूवि बढ़ी है। मध्य प्रदेश की नौगवां ग्राम पंचायत की सरपंच हीरा बाई का कहना है कि ''दलित होने के रूप में मुझे लोगों द्वारा नजर अंदाज किये जाने कि आदत थी। लेकिन जबसे मै सरपंच निर्वाचित हुई हूँ अब वही लोग मुझसे अदब से बात करते हैं। ईश्वर ने मुझे नई राह दिखाई। मै भी जितना हो सकेगा कार्य करूगी और आगे की सरपंच बनना चाहुँगी।''

पंचायती प्रणाली में महिलाओं की यह मात्रा केवल संख्या और अुनपात तक सीमित नहीं है। पंचायतो और नगरीय निकाय में महिलाओं की उपस्थिति से उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि चूल्हा–चौका, बच्चे पैदा कर उनका पालन–पोशण करने के साथ–साथ वे अपने गाँव, नगर और समाज के लिए ऐसे कार्य भी बखूबी कर सकती हैं, जिसके लिए पुरूष शासित समाज ने उन्हें कभी अवसर ही नहीं दिया। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के एक गांव की महिला सरपंच ने पुरूष प्रधान समाज के तमाम दबाव के बावजूद अपने ससुर और पति के खिलाफ अधिसूचना जारी की कि वे बताए कि पंचायत जमीन हड़पने की वजह से उनके विरूद्ध कार्यवाही क्यों न की जाये?

हरियाणा की एक महिला सरपंच ने एक सार्वजनिक जमीन को 60000/– रूपये में 2 र्वा के लिए पट्टा किया जबकि वही जमीन उससे पहले 20000/– रूपये प्रति वर्श के पट्टे पर 5 वर्श के लिए ही दी गई थी। लोकतांत्रिक षासन प्रणाली में जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर उपलब्ध होने पर महिलाओं ने अपनी षक्ति, सामर्थ और निर्णय लेने की क्षमता से साबित कर दिया है कि वे किसी मायने में पुरूशों से कम नहीं हैं और अवसर मिलने पर बेहतर भी कर सकती हैं। मघ्यावृती समीक्षा रिपार्ट में बताया गया है कि महिला प्रतिनिधि पंचायत एवं नगरीय विकास का बजट तैयार करने की उनकी सूझबूझ काम आ रही है। इसमें यह भी कहा गया है कि बजट तैयार करते समय वे उन कार्यों को आर्थिक महत्व देती है, जो महिलाओं के उपयोग के है। इस प्रकार महिलाओं के प्रति अभी तक चले आ रहे भेद–भाव को दूर करने में मदद मिल रही है। यह भी देखने में आया है कि पंचायत और नगरीय निकाय में पदाधिकारी बनने में घर–परिवार और आस–पास उनका सम्मान बढ़ा है और जो पुरूश पहले औरत के सुझाव की अनदेखी करते थे, वे अब उनकी बातों को गम्भीरता से लेते हैं। उनके साथ समानता का बर्ताव करते हैं। यही लोकतंत्र की मूल भावना है। जहाँ महिलाएं सरपंच या नगर निकाय अध्यक्ष काफी सुधार आया है। इसके अलावा सरकारी कल्याणकारी एवं रोजगार देने वाले कार्यक्रमों को अधिक मुस्तैदी से लागू किया जा रहा है।

स्थानीय स्व–शासन में सक्रिय भागीदारी से महिलाओं ने शिक्षा के महत्व को पहचाना है। उन्हें शिक्षा के अभाव में इन संस्थाओं में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महिलाएं स्वयं महसूस करती हैं कि यदि वे शिक्षित होती तो इन संस्थाओं में और बेहतर तरीके से कार्य सम्पादन एवं सहभागिता कर पाती।

उनकी इस सोच ने लडकियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया है। महिला प्रतिनिधियों ने अषिक्षा, गरीबी, असमानता, लैंगिक–भेदभाव, स्वास्थ्य, नशाखोरी, घरेलू भेदभाव व हिंसा आदि मुद्दों का उठाकर स्थानीय स्व–शासन की प्रति व दषा को परिवर्तित कर दिया है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी ने वंचित शोषित और दलित वर्ग की महिलाओं को परिवार और समाज में उच्च स्थिति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक सशक्तिकरण की गति काफी तेज हो गई है।

पंचायत एवं नगरीय निकायों में महिलाओं द्वारा अभूतपूर्व प्रदर्षन करने के बाद भी देश की सबसे बड़ी पंचायत और राज्य की विधान सभाओं में उनकी भागीदारी की स्थिति काफी सोचनीय बनी हुई है।

संसद में महिलाओं की भागीदारी

तालिका नं0 1

क्रम	वर्ष	लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या	लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1	1952	499	22	4.4
2	1957	500	27	5.4
3	1962	503	34	6.8
4	1967	523	31	5.9
5	1971	521	22	4.2
6	1977	544	19	3.3
7	1980	544	38	5.2
8	1984	544	44	8.1
9	1989	517	27	5.2
10	1991	544	39	7.2
11	1996	543	39	7.2
12	1998	543	43	7.9
13	1999	545	49	8.65
14	2004	539	44	8.16
15	2009	545	60	11
16	2014	545	61	11.3

तालिका नं0 1 से स्पष्ट है कि अब तक की भारतीय लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 1977 छठी लोकसभा में सबसे कम 19 थी जो कुल सदस्य संख्या की मात्र 3.3 फीसदी है और सोलहवीं लोकसभा 2014 में महिलाओं की भागीदारी की सर्वाधिक संख्या 61 है जो कुल सदस्य संख्या की मात्र 11.3 फीसदी ही है। ये

आँकड़े इस बात की गवाही दे रहे है कि लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी काफी कम है। जबकि महिलाएं देश की कुल आबादी का आधा हिस्सा हैं।

दूसरी तरफ तालिका 1 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि 73वें, 74वें संविधान संषोधन (1993) के प्श्चातृ, स्थानीय स्व–शासन प्रणाली में 33 फीसदी आरक्षण प्राप्त होने के बाद महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता बढ़ी है, और वे राष्ट्रीय राजनीति में भी भागीदारी व सहभागिता बढ़ाने के लिए संघर्षरत है। चौदहवी लोकसभा 2004 में महिलाओं की भागीदारी में आई .49 फीसदी की कमी को यदि छोड़ दिया जाए तो ग्यारहवीं लोकसभा 1996 से चौदहवीं लोकसभा 2014 तक बहुत धीरे–धीरे ही सही पर लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

भारतीय संसद और राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पिछले कई वर्षों से संसद में 33 फीसदी महिला आरक्षण सम्बन्धी विधेयक लम्बित पड़ा था जिसे केन्द्र की यू0पी0ऐ सरकार ने लोकसभा के बजाय राज्य सभा में पेश कर, 9 मार्च 2010 को 108वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब यह विधेयक लोकसभा में पारित होकर कानून का रूप ले लेगा, तब लोकसभा में 545 सदस्यों में 180 महिलाएं और राज्यसभा में 245 सदस्यों में 80 महिलाएं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती नजर आयेंगी। इसी प्रकार राज्य की विधान सभाओं में भी 33 प्रतिशत महिलाएं अपनी जबरदस्त भागीदारी और सहभागिता का एहसास कराती दिखाई पड़ेगी।

निष्कर्ष

आज महिलाएं पंचायत, ब्लाक, जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों के अध्यक्ष से लेकर मेयर के पदों तक निर्णय लेने एवं आदेश देते, सभाएं करते, जन समूह को संबोधित करते, वाद–विवाद का निपटारा करते एवं लोगों की मदद करते देखी जा रही हैं। राजनीतिक भागीदारी से महिलाओं की सोच में काफी परिवर्तन आ गया है। अब महिलाएं घर की चहारदीवरी से बाहर निकल कर नीति–निर्माण व निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी एवं मुख्य भूमिका निभा रही हैं। लोकतांत्रिक शासन–प्रणाली में वे ऐसे बहुत से कार्य कर रही हैं, जो उन्होने पहले कभी नहीं किये। महिलाएं अकेले सार्वजनिक क्षेत्रों और अपने कार्यालय जाने लगी हैं। पुरूष प्रतिनिधियों के साथ कुर्सी पर बैठने लगी हैं। सार्वजनिक चर्चाओं में हिस्सा लेने लगी हैं। अतः कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक शासन–व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण की राह आसान कर उनके सशक्तिकरण की गति को तेज कर दिया है।

संदर्भ ग्रन्थ

(1) ए.डी. आर्षीवदम् तथा कृशणाकान्त मिश्र – राजनीतिक विज्ञान, बारहवां हिन्दी संस्करण, 2012, पृ. 603।

(2) सी.बी. गेना – तुल्नात्मक राजनीति एवं राजनीति संस्थाएं, 2009 पृ. 463.

(3) ओ.पी. गाबा – राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, सप्तम संस्करण, 2009, पृ. 273.

(4) मीणा लाल मन्ना – सशक्तिकरण की मौन क्रांति, योना, 2012, पृ. 32.

(5) प्रतापमल देवपुरा – ग्रामीण विकास का आधार आत्मनिर्भर पंचायत, संस्करण 2006, पृ. 6.

(6) कल्पना शर्मा – सम्पादकीय (महिला आरक्षण करेगा असर धीरे–धीरे) 18 दिसम्बर, 2009.

(7) https://mediaforrights.org/womenright/hindi.

(8) https://journalistdharamveer-blogspot.in/2012/05.

(9) अरूण डॉ0 ज्योति : चुनौतियों एंव विकल्प, सम्पादित आचार्य भालचन्द्र गोस्वामी प्रखर : आधी दुनिया दोहरा भार, बाड.मय प्रकाषन, जयपुर, 2006

(10)अशरफ अली तथा शर्मा एल.एन. : पॉलिटिक्ल सोशियोलॉजी यूनिवर्सिटी प्रेस लिमिटेड, हैदराबाद 2001

(11)अन्सारी एम0ए0 : राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी, ज्योति प्रकाशन जयपुर, 2000

(12)अन्सारी एम0 ए0 : महिला व मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2003

(13)अंसारी एम0ए0 : नारी चेतना और अपराध, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2000

(14)अन्थनी, एम0 जे0 : वूमेन्स राइट्स, डायलॉग पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1985

(15)अवस्थी डॉ0 ए0 पी0 : भारतीय शासन एवं राजनीति, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, 2006

(16)अवस्थी सुधा : महिलाओं के प्रति अत्याचार एंव मानवाधिकार, अषोक ला हाऊस, नई दिल्ली, 2003